शीर्षकः श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु बोली आमंत्रण

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

जयपुर

बोली फार्म

बोली संदर्भ संख्या क्रमांकः– F-3(45)(2)/SIHFW/Agency-hire/P-V/25-26/9627 दिनांकः– 26/11/25

बोली कार्य का नामः राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु बोली

श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु बोली आमंत्रण
E-BID

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशाला, मानव संसाधन विकास कार्यो इत्यादि को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न श्रमिकों (कम्प्यूटर ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, टैली ऑपरेटर, प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन एवं सुरक्षा गार्ड) की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सेवा प्राप्त करना

बिड संदर्भ सं. F-3(45)(2)/SIHFW/Agency-hire/P-V/25-26/ 9627 दिनांक: 26/11/25

ऑनलाइन बोली आवेदन डाउन लोड करने की तिथि व समय	:	27.11.2025 सायं 4 बजे से
बोली फार्म, ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम दिनांक, समय व स्थान	:	08.12.2025 दोपहर 1 बजे तक रा.स्वा.एवं प.क.सं. परिसर
ऑनलाइन बोली आवेदन करने की अंतिम तिथि व समय	:	08.12.2025 दोपहर 1 बजे तक
ई–टेण्डर तकनीकी बोली खोलने की तिथि, समय व स्थान	:	08.12.2025 दोपहर 3 बजे ऑनलाईन. ई–प्रोक पोर्टल पर

बोली मूल्य	:	अनुमानित लागत रू 90 लाख
बोली फार्म मूल्य	:	रू 500/– (एस.एस.आई फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)
ई टेन्डर प्रोसेसिंग शुल्क	:	रू 1500/–
बोली प्रतिभूति राशि	:	रू 180000/– (एस.एस.आई . फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)

(बोली प्रतिभूति राशि रूपये 180000/– (रू एक लाख अस्सी हजार मात्र) एवं बोली फार्म शुल्क रूपये 500 (पाच सौ रू मात्र) का डी.डी. State Institute of Health & Family Welfare के पक्ष में देय हो एवं ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि 1500 (एक हजार पांच सौ रू मात्र) का डी.डी. मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. (MD, RISL) के पक्ष में जयपुर में देय हो। **(तीनो के डी.डी. अलग–अलग हो)**

ई–बिड तकनीकी बोली ऑनलाईन खोली जावेगी

सम्पर्क हेतु पता

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,

दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534

बोली अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोली सूचना	4
2.	बोलीदाताओं हेतु निर्देश	5–9
3.	बोली फार्म चैक लिस्ट संलग्नक "A"	10–11
4.	बोली फार्म संलग्नक "B"	12
5.	बोली की शर्ते एवं नियम संलग्नक "C "	13–16
6.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्नक "D"	17
7.	वार्षिक टर्न ओवर संलग्नक "E"	18
8.	स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्नक "F"	19
9.	स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्नक "G"	20–21
10.	Format of BoQ संलग्नक "H"	22

नोट :– सम्पूर्ण बोली तथा BOQ देवनागरी लिपि हिन्दी के फॉन्ट DevLys 010 (क्मअस्ले 010) लिखित है।

ac

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534

कमांकः– F-3(45)(2)/SIHFW/Agency-hire/P-V/25-26/ 9627 दिनांकः– 26/11/25

–: बोली सूचना :–

संस्थान के लिए श्रमिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत अनुभवी बोलीदाताओं/फर्मो से निम्नानुसार बोली आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	कार्य	अनुमानित संख्या	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि रू. में	बोली फार्म राशि रू. में	ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि रू. में	ऑनलाइन बोली आवेदन / डाउनलोड करने की तिथि	ई–टेण्डर तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,	15	90 लाख रुपये (2 वर्ष हेतु)	180000 (रू एक लाख अस्सी हजार मात्र)	500	1500	27.11.2025 दोपहर 4 बजे से 08.12.2025 दोपहर 01:00 बजे तक	08.12.2025 दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सस्थान परिसर
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर,	6						
3	टैली ऑपरेटर	1						
4	सिक्योरिटी मैन (सुरक्षा गार्ड)	10						
5	इलैक्ट्रीशियन (विद्युतकर्मी)	1						
6	प्लम्बर	1						

उपरोक्त सेवा कार्य आपुर्ति के लिए ठेकेदारों से मुहरबंद ई–बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ई–टेण्डर को अपलोड करने की अन्तिम तिथि 08.12.2025 दोपहर 01:00 बजे तक किया जा सकता है। बोलीदाता फर्म को बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली फार्म शुल्क का डी. डी. जो State Institute of Health & Family Welfare जयपुर के पक्ष में देय एंव ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि का डी. डी. MD RISL payble at Jaipur का संलग्न करना अनिवार्य होगा जो दिनांक 08.12.2025 को दोपहर 01.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करा देंवें। बोली प्रतिभूति राशि, बोली फार्म राशि एवं ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि के बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए किसी भी भाग अथवा पूर्ण बोली को रद्द करने अथवा प्राप्त बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

निदेशक

बोलीताओ हेतु निर्देश

1. बोली अनुभवी पंजीकृत एजेन्सी / ठेकेदारों से आंमत्रित की जाती है।

2. बोली प्रपत्रों को वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sihfwrajasthan.com से डाउनलोड किया जा सकता हैं। इन बोलीओं में भाग लेने वाले आवेदक बोली को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http:// www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करें।

3. बोली डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगाः–

(अ) बोली प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 27.11.2025 समय सांय 4 बजे से 08.12.2025 दोपहर 1 बजे तक होगी।

(ब) बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोंनिक फॉरमेट में वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in दिनांक 27.11.2025 समय सांय 4 बजे से 08.12.2025 दोपहर 1 बजे तक अपलोड कराये जा सकते है एवं प्राप्त बोलीओं की तकनीकी बिड इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन दिनांक 08.12.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी।

(स) बोली शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क सम्बन्धित निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 27.11.2025 सांय 4 बजे से 08.12.2025 दोपहर 1 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।

(द) बोली प्रपत्र को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रपत्र में बोलीकर्ता के लियें योग्यता सूचना तथा बोलीकर्ता की पात्रता, विभिन्न कार्यो की मात्रा का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

4. बोली प्रतिभूति राशि बोली प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट State Institute of Health & Family Welfare के नाम देय होगा।

5. बोली खोलने के दिनांक से 90 दिवसों तक बोली स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि बोलीकर्ता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

6. बोलीदाता इन प्रपत्रों को download कर सकते है। बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

7. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पास सुरक्षित है।

8. ई–टेण्डरिंग के लिये बोलीदाता हेतु निर्देशः–

(अ) बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता बोली प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "http://www.eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड (download) कर सकते है।

(ब)बोली में भाग लेने वाले बोलीताओ को वेबसाइट "http//www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट – 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। **जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।**

(स) **बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नही होगा।**

(द) इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।

(य) यदि बोलीदाता को इलेक्ट्रोनिकली बोली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा। बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि 08.12.2025 व समय दोपहर 1:00 बजे तक तक जमा किये गये दस्तावेजों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। अतः बोलीदाता टेंडर प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचनाओं को संपूर्ण रूप से सही व त्रुटिरहित भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

(र) ऑन लाइन बोली निर्धारित दिनांक 08.12.2025 दोपहर 3:00 बजे ऑनलाइन http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर खोली जायेंगी।

(ल) यदि किसी कारणवश बोली खोलने के दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोली खोली जाऐंगी। जो बोली दाता तकनीकी बिड में क्वालीफाई करेंगे केवल उनकी ही वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–मेल से दी जावेगी। बोली खोलने की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।

9. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्रों के साथ बोली फार्म शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट की फोटो प्रति के साथ अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां, जैसा कि आगे इस बोली फार्म में बताया गया है, वेब साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना आवश्यक है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

ar

10. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट अलग–अलग देय होंगे। अगर एक डिमाण्ड ड्राफ्ट को एक से अधिक बोली में अपलोड करना पाया गया तो बोली दाता को इन सभी बोलीयों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

11. भौतिक रूप से जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों यथा डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं पोर्टल पर डिजिटली अपलोड किये गये दस्तावेज़ों में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाने पर उसे निर्धारित समय सीमा में पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन करके दुरस्त किया जाना सम्भव है किन्तु बोली जमा कराने की निर्धारित समय सीमा (दिनांक 08.12.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक) के उपरान्त किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार संभव नहीं हो पायेगा एवं निर्धारित समय सीमा के उपरान्त बोलीदाता द्वारा बोली को पूर्ण करने के उद्देश्य से स्वयं के स्तर पर प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी दस्तावेज अथवा त्रुटिसुधार की प्रार्थना को बोली का भाग माना जाना सम्भव नहीं हो पायेगा एवं तदनुसार अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण बोली को अमान्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिये बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

12. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत होगी। सफल बोलीदाता को कार्यादेश देते समय अथवा अनुबंध के समय बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जाना संभव हो सकेगा।

13. वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र BOQ में प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय बोली भरते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि दरें व्यवहारिक हों। कार्यादेश देने के बाद कान्ट्रेक्टर द्वारा कोई भी त्रुटि होती है तो किया गया करार समाप्त कर प्रतिभूति राशि (परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी) जब्त कर ली जावेगी।

14. बोलीदाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा संपर्क किया जा सके।

15. यह बोली क्वालिटी बेस्ड अर्थात गुणवत्ता आधारित है जिसका निर्धारण तकनीकी बोली में अंकित मापदंडो पर किया जायेगा। वित्तीय बोली केवल तकनीकी बोली में सफल होने वाले बोलीदाता की खोली जावेगी।

16. वित्तीय बोली हेतु समस्त दरें विभिन्न कर, शुल्क, व्यय BOQ फार्मेट के अनुसार सम्मिलित करते हुये होंगी

17. सफल बोलीदाता (अनुबंधकर्ता) जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत सफल बोलीदाता के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली सफल बोलीदाता से ही की जावेगी।

18. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् बोलीं को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

19. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

GL

20. बोली दाता को प्रपत्र बिना काट –छांट के अपलोड करना चाहिये अन्यथा स्कैन किये गये व अपलोड किये जाने वाले बोली प्रपत्र में प्रत्येक काट–छांट पर बोलीदाता को अपने हस्ताक्षर करने चाहिये अन्यथा बोली को अमान्य किया जा सकता है।

21. बोली स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त बोली कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को होगा।

22. सम्पूर्ण बोली पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित नियम प्रभावी होंगे एवं अनुबन्धक व कार्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

23. सफल बोलीदाता से अनुबंध की अवधि अनुबन्ध किये जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी जो कि सफल दरों की उपयुक्तता (आर.टी.पी.पी.नियम 2013 सं 29 बी) पर निर्भर करेगा।

24. बोलीदाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस बोली की समस्त शर्तें/विवरण आदि को सावधानीपूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तों व विवरण पत्रों को स्वीकार कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

25. संस्थान निदेशक किसी भी बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरीत करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।

26. बोलीदाता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित संलग्नानुसार दस्तावेजों की प्रति को मूल दस्तावेजों को दिखाकर प्रमाणित/सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा।

- कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- सोसायटी के मामले में सोसायटी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- जी.एस.टी पंजीकरण एवं पैन नंबर अनिवार्य होगा ।
- श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन
- ई.पी.एफ. एवं ई.एस आई रजिस्ट्रेशन
- प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चैक

उक्त दस्तावेज बोली के साथ संलग्न न होने की स्थिति में बोली स्वीकार्य नही होगी।

27. बोलीदाता दर संविदा को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।

28. बोलीदाता फर्म का कार्यानुभव न्यूनतम 3 वर्ष का होना अनिवार्य है।

29. बोलीदाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी।

30. इस बोली के अन्तर्गत बोलीदाता द्वारा लगाये जाने वाले कर्मचारियों को देने वाली न्यूनतम मजदूरी दर श्रम विभाग राजस्थान सरकार के राजस्थान राज–पत्र के अनुसार देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

31. बोलीदाता को वित्तीय बोली ऑनलाईन ई–प्रोक पर भरनी होगी। वित्तीय बोली के अन्तर्गत बोलीदाता को अतिरिक्त प्रभार (सर्विस चार्ज) भरा जाना है। वित्तीय बोली में प्राप्त दरों के आधार पर न्यूनतम का निर्धारण किया जावेगा।

32. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार निम्नांकित पदों को निम्नांकित कैटेगरी मे रखा गया है:–

क्रम सं	श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण	पद का नाम
1	अकुशल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
2	कुशल	सिक्योरिटी मैन (सुरक्षा गार्ड)
3		प्लम्बर
4		इलैक्ट्रीशियन (विद्युतकर्मी)
5	उच्च कुशल	कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिक
6		टैली ऑपरेटर

33. यदि बोली के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा बोली को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना बोलीदाता का दायित्व होगा।

34. बोलीदाता द्वारा एस.एस.आई का प्रमाण पत्र, संस्थान को नियमानुसार प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि में छूट देय होगी।

निदेशक

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

तकनीकी बोली संलग्नक "A"

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट

मैं/हम .... (बोलीदाता का नाम) (कार्यालय का नाम).. निवासी (बोलीदाता का पता) .... घोषणा करते है कि मैंने/हमने बोली की सभी शर्तो एवं नियमों को पढ़ लिया है जो कि निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा बोली में दिये गये हैं तथा उल्लेखित सभी शर्तो, नियमों का पालन करने हेतु सहमत हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने की घोषणा करते हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरे राजस्थान के अन्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र.सं.	विवरण	संलग्न हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 180000/— बैकंर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य		
2.	श्रम विभाग मे रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
3.	पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य		
4.	ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
5.	ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
6.	जी.एस.टी टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
7.	वित्तीय वर्ष 2022—23 से 2024—25 की आयकर विवरणी की सी.ए. फर्म द्वारा UDIN सहित सत्यापित प्रति अनिवार्य		
8.	मह अप्रेल 2024 सें अक्टूबर 2025 तक की जी.एस.टी. जमा विवरणी (प्रत्येक माह की) की सत्यापित प्रति अनिवार्य		
9.	हस्ताक्षरित मूल बोली फार्म मय संलग्नक "A से G तक" अनिवार्य		
10.	किसी भी संस्थान में श्रमिक उपलब्ध कराने के कार्यनुभव प्रमाण पत्र संलग्न "D") न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।		
11.	टर्नओवर विवरण (संलग्नक "E") तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नआवर रू 3.00 करोड प्रतिवर्ष (रू तीन करोड) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा UDIN नम्बर सहित प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
12.	बोलीदाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नही है। इसका शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "F") अनिवार्य		

13.	स्वामित्व प्रमाण पत्र / घोषणा इसका शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "G) अनिवार्य		
14.	वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ. / आई.एस.ई / अन्य समकक्ष)		
15.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्त 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति या सोसायटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रति		

नोटः–

उपरोक्त सारणी में पृष्ठ संख्या अवश्य लिखें ताकि आपके द्वारा संलग्न दस्तावेज को आसानी से ढूँढ़ा जा सके।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

av

तकनीकी बोली संलग्नक " B "

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर–302004
फोन न. 2706496, 2701938, फैक्स न: 2706534

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर भवन परिसर में श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु बोली फार्म

1.	बोलीदाता फर्म/संस्था का नाम			
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता			
3.	दूरभाषः अ) कार्यालय...... .... ब) निवास............................... मोबाईल....................................... ई–मेल..	....		
4.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी (संलग्नक G)			
5.	फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता			
6.	(अ) बोली प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता (ब) किस हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं? (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया हैं?	नाम– पता– (यथा मालिक/मैनेजर/सचिव अधिकृत व्यक्ति) हॉ/नही/लागू नहीं		
7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	मोबाईल नं. दूरभाष नं. पता–		
8.	संलग्न बैंकर चैक/डी.डी. अमानत राशि का विवरण (जमा करा दी गई है/नही कराई है)	बोली फार्म शुल्क धरोहर राशि ई टेन्डर प्रकिया शुल्क	बैंकर चैक/डी.डी. सं.	दिनांकः ....

उपर्युक्त जानकारीयॉ सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियॉ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नही होगी। मैने क्रमांक 5 से 8 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

ac

संलग्नक " C "

बोली की शर्ते एवं नियम

1. बोलीदाता द्वारा अनुमानित 6 कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिक, 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 1 टैली ऑपरेटर, 10 सुरक्षा गार्ड (2 गार्ड प्रति 8 घण्टे, तीन पारियों हेतु एवं शेष आवश्यकतानुसार) 1 इलैक्ट्रीशियन (विद्युत कर्मी) एवं 1 प्लम्बर उपलब्ध कराने होंगे।
   - कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिक हेतु योग्यता

     Machine Specifications:

     a. Computer:
     Intel core i5 I Equivalent AMD based computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 15" monitor/TFT or bigger , 10/100/1000 Mbps Lan Card, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard serial parallel & USB Ports window 8 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office. Reponsibility of software licence will be borne by the contractor. Online/Offline UPS for above computer

     b. The Personel have knowledge to operate computer in windows/Linux environment, good knowledge/ Practice in word processor, Spread sheet and Internet Operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi & English
   - टैली ऑपरेटर Tally software पर कार्य करने में पारंगत होना चाहिए।

2. बोलीदाता की वांछित योग्यताएं
   - बोलीदाता के पास ई.एस.आई./ई.पी.एफ/जी.एस.टी. का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1958 के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स Contract labour (Regulation and abolition) act 1970 u/s 12(2) एवं अन्य वांछित लाईसेंस होना अनिवार्य है।
   - बोलीदाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण में मैनपॉवर या कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण स्वरूप संबंधित सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
   - गत तीन वित्तीय वर्षो का औसत न्यूनतम टर्नऑवर रू 3.00 करोड होना अनिवार्य है एवं टर्नऑवर इसी व्यवसाय (मैनपॉवर) से ही संबंधित होना चाहिए। मैनपॉवर उपलब्ध कराने व्यवसाय से अतिरिक्त किसी व्यवसाय का टर्नऑवर मान्य नहीं होगा। बोलीदाता को गत तीन वर्षो की बैलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता/आय–व्यय खाता बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3. बोलीदाता स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिको के द्वारा संस्थान की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति बोलीदाता से की जावेगी।

4. यदि बोलीदाता के कार्य से संस्थान के किसी अनुभाग से कोई भी शिकायत आने व सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरुप राशि काट ली जावेगी। अंतिम निर्णय निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का होगा।

5. बोलीदाता द्वारा अवयस्क लोगो को जॉब कार्य पर नही लगाया जावेगा।

6. बोलीदाता द्वारा अपने श्रमिकों से जॉब बेसिस पर संस्थान की आवश्यकतानुसार जॉब कार्य संपादित कराना होगा। आवश्यकता होने पर राजकीय अवकाश एवं कार्यालय समय पूर्व एवं पश्चात् भी जॉब कार्य सम्पादित कराया जा सकता है तथा जॉब कार्य की संख्या को कम व अधिक करने का पूर्ण अधिकार निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को संस्थान कार्यसमय से आधा घण्टे पहले आना होगा। सिक्योरिटी गार्ड 8 घण्टे की डयूटी पर तीन पारी में पृथक–पृथक लगाने होंगे एवं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध कराने होगे। बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगें एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना करेंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

7. बोलीदाता के किसी श्रमिक द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों मे लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस श्रमिक को हटाने के निर्देश ठेकेदार को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस श्रमिक को तुरन्त हटाना होगा एवं उसके स्थान पर तुरंत दूसरा श्रमिक संस्थान में उपलब्ध कराना होगा।

8. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनूमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह बोलीदाता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त करेगा तथा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता को अपने कार्मिको के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

9. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐं आदि में दिये गये दिश निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व बोलीदाता का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाऐं की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा। बोलीदाता द्वारा नियमों की पालना नहीं करने की स्थिति में निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. यदि बोलीदाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर श्रमिक न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें निदेशक रा.स्वा.प.क.सं. को भी पक्षकार बनाता है तो उससे संबंधित समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

11. बोलीदाता द्वारा अपने जॉब बेसिस पर कार्यरत श्रमिकों को प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात 7 कार्य दिवस में आवश्यक रूप से भुगतान करे इसके लिये पूर्णरूपेण बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

12. बोलीदाता द्वारा जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किये गये भुगतान के क्रम में एक प्रमाण पत्र बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा की सभी श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी एंव ई.पी.एफ, ई.एस.आई. का भुगतान नियमानुसार किया गया है तथा कम मजदुरी भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंध निरस्त करने का निदेशक रा.स्वा.प.क. सं को पूर्ण अधिकार होगा।

13. यदि बोलीदाता एवं उसके श्रमिंको के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का कोई दायित्व नही होगा। नियोजित श्रमिंको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रवधानो के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिंको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व बोलीदाता का होगा।

14. बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिंको की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी व दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इसके लिए सरकार व निदेशक रा.स्वा.प.क.सं की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

15. बोलीदाता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा । वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा।

16. बोलीदाता द्वारा जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिंको की सूची उनके पासपोर्ट साइज फोटो एवं पहचान संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखने होगे। इन कर्मचारियों के पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। उक्त प्रपत्रों की प्रति संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी।

17. बोलीदाता द्वारा कार्य बीच में छोडने या उसका कार्य संतोंषप्रद नही होने कि स्थिति मे बोलीदाता को स्वीकृत ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को होगा।

18. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का निर्णय अतिंम होगा एवं बोलीदाता को मान्य होगा।

19. इलैक्ट्रीशियन एवं प्लंबर हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिक कार्य में कुशल होना आवश्यक है। इलैक्ट्रीशियन एवं प्लंबर की सेवायें आवश्यक श्रेणी की होने के कारण कार्यालय समय के पश्चात भी कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।

20. बोलीदाता को संस्थान में महिना पूर्ण होने पर बिल प्रस्तुत करने होगे तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त बिलों का भुगतान किया जावेगा।

21. निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या को कम व ज्यादा कर सकेगें।

22. कार्य स्थल में उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक (सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) निधारित वर्दी में उपलब्ध करवाये जावेगें। जिसका दायित्व बोलीदाता का होगा।

23. बोलीदाता द्वारा संस्थान परिसर में उपलब्ध कराये गये कार्मिको की सूची मय ESI & PF जमा के चालान की सत्यापित प्रति प्रत्येक माह निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के समक्ष प्रस्तुत करायेगा जिसके पश्चात् बोलीदाता को अगले माह का भुगतान किया जावेगा।

24. बोलीदाता प्रत्येक माह कार्मिको का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगा, जिसका विवरण अगले प्रत्येक माह के प्रस्तुत बिल के साथ निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को प्रस्तुत करेगा।

25. सफल बोलीदाता से किये जाने वाले करार की अवधि 2 वर्ष की होगी। उपयुक्त समझे जाने पर या आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

26. करार व प्रतिभूति निक्षेपः सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबन्ध पत्र रूपये 1000 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। कार्यादेश लागत की 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

ac

27. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

28. प्रतिभूति निक्षेप का समपह्वरण (जब्त) – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत (जब्त) किया जा सकेगा–

- जब संविदा की किन्ही शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- जब बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

29. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

30. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को उपरोक्त निर्देशों में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ौतरी की जा सकती है।

31. यदि सफल अनुबन्धकर्ता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों (आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा किया जायेगा।

32. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार, सरकार, या अनबन्धकर्ता द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।

33. बोली प्रक्रिया में आर.टी.टी.पी एक्ट 2012 एवं आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

34. सम्पूर्ण बोली या बोली के किसी भाग को निरस्त करने/हटाने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक रा.स्वा.प.क.स का होगा।

मैनें /हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तो को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

9c

तकनीकी बोली प्रपत्र संलग्नक "D '

कार्यानुभव प्रमाण पत्र

क्रम सं.	संस्था का नाम व पता जहॉ कार्य सम्पादित किया है	सेवा अवधि	वित्त वर्ष	लागत	प्रमाण संलग्न किया है अथवा नहीं

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

ac

तकनीकी बोली प्रपत्र संलग्नक "E"

(फर्म के लेटर हैड पर)

वार्षिक टर्नओवर विवरण*

मैसर्स .... पता..
. ... के **सकल वार्षिक टर्नओवर के** गत तीन वर्षो के नीचे दिये गये वित्तीय विवरण सही और सत्य है, जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नआवर रुपयें में
1		
2		
3		
	कुल योग	रुपयें .... लाख में

नोटः–

*तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नओवर रू 3.00 करोड प्रतिवर्ष (तीन करोड रू) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट (Profit & Loss Account & Balance sheet) संलग्न करनी होगी।

दिनांकः बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प अंकेक्षक के हस्ताक्षर मय सील/चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

नामः ....

पताः ....

UDIN नम्बरः ....

मोबाइल नम्बरः ....

qc

तकनीकी बोली प्रपत्र संलग्नक "F "

स्वः घोषणा प्रमाण पत्र

(50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंम्पनी) द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओ से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नहीं की गई है तथा इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी /हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी /हमारी संस्था जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

दिनांक

स्थान

a c

तकनीकी बोली प्रपत्र   संलग्नक "G "

स्वामित्व प्रमाण पत्र/घोषणा

(50 रू के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम.. मैं एकल स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मैसर्स ..
....
..............एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/ सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनी के एकमात्र मालिक जो कि अधिकृत कार्यालय स्थित ....(पूरा पता) जो कि सही होने कि घोषणा करते हैं:–

1. कि मैं मैसर्स ....का एक मात्र मालिक हूँ

अथवा

कि हमारी मैसर्स ....साझेदारी फर्म है जिसके तहत साझेदारो के पूरा नाम निम्न है/

(अ) ....

(ब)...

(स)...

(द)...

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानो के अन्तगर्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।

यदि स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी फर्म का साझेदारी विलेख/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन ओर एसोसिएशन का प्रलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशको में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न किया जाना चाहिए

2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक विगत 3 वर्षों में किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची में अथवा कार्य से वंचित नहीं किया गया है अथवा कार्य असंतोषजनक होने के कारण पूर्व में मेरा/हमारा अनुबंध निरस्त नही किया गया है एवं प्रतिभूति राशि जब्त नही की गई है।

3. यह कि मै/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया घोषित नही हूँ/है और न ही उक्त कारणो से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

9ー

4. यह कि विगत 3 वर्षो मे मै/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नही है और नही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण अयोग्य किये गये है।

5. मेरे कार्मिक भी विगत 3 वर्षों में किसी भी आपराधिक गतिविधियो मे सजायाफ्ता नही है/लिप्त नहीं रहे हैं।

6. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवैध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नही किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा कि जाती है तथा मेरे/हमारी फर्म/कम्पनी मैसर्स..के विरूद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नही की गई है/प्रक्रियाधीन नही है।

7. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते है तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई बोलीओ में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नही होगे

8. मैं शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ शपथ लेता हूँ की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

सत्यापन हेतु...पर...दिये गये अनुच्छेद 1 से 8 शपथ पत्र में सही ओर ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नही हैं तथा ना ही कुछ छुपाया अथवा झूठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर

संलग्नक "H"

Format of BoQ to be filled electronically as financial bid and uploaded on e-proc

Cadre	Service Charges per person per month (In Rs.)
IV Class/Peon	
Computer with man	
Tally Operator	
Security Gurad	
Electrician	
Plumber	

* per person wise Rates should be filled in Financial bid(BOQ) in column.

ac